झारखंड सरकार

कार्यालय, मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखंड, राँची

आदेश संख्या: EODB/CIF/2020-120 राँची / दिनांक: 02/12/2020

आदेश

राज्य में ईज आफ डूइंग बिजनेस (EASE OF DOING BUSINESS) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कारखाना के लाईसेन्स नवीकरण (LICENSE RENEWAL) कार्य को सुगम बनाया गया है । अब विभागीय आधिकारिक वेब साईट (https://advantage.jharkhand.gov.in/SingleWindow) पर कारखाना अधिनियम,1948 की धारा 6 एवं झारखंड कारखाना नियमावली,1950 के नियम 07 के अन्तर्गत कारखानों का लाईसेन्स नवीकरण का आवेदन स्वतः रिन्यूअल (AUTO RENEWAL) विकल्प के तहत आनलाईन किया जायेगा जिसमें किसी अतिरिक्त दस्तावेज / कागजात की आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में संग्रहित डाटा के आधार पर उक्त लाईसेन्स का नवीकरण पारदर्शी (TRANSPARENT), स्वतः (AUTO), गैर विवेकाधीन (NON DISCRETIONARY) प्रकार से आवेदक द्वारा देय निर्धारित शुल्क आनलाईन भूगतान किये जाने के बाद आनलाईन स्वतः पुनर्नवित (AUTO RENEWED) लाईसेन्स जारी होंगे।

राज्य में यह व्यवस्था पहली नवम्वर 2020 (01-11-2020) से प्रारंभ कर दिया गया है ।

02/12/2020

मुख्य कारखाना निरीक्षक,
झारखंड, राँची

ज्ञापांक–1052 / राँची, दिनांक–02-12-2020

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, सिगंल विण्डो, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची / जैप0आई0टी0 / सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक / सभी कारखाना निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/12/2020

मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड,
राँची।

ज्ञापांक–1052 / राँची, दिनांक–02-12-2020

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार / श्रमायुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ विन्रम प्रेषित।

02/12/2020

मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड,
राँची।